K.M.M. Law College Saharsa
Amrendra Kumar Trivedi
part-Time-Teacher
Sub-levide

प्रत्यक्ष साक्ष्य तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्य

किसी तथ्य के विषय में जब कोई साक्षी अपने निजी ज्ञान के आधार पर कथन करता है या कोई दस्तावेज सत्य के रूप में पेश की जाती है तो वह साक्ष्य ~~प्रत्यक्ष~~ प्रत्यक्ष साक्ष्य कहा जाता है। इसके दूसरे प्रकार का साक्ष्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य कहा जाता है। यह साक्ष्य भी दो श्रेणियों में विभाज्य है। प्रथम वह जो निश्चायक (conclusive) होता है। दूसरा वह जिससे किसी तथ्य की अस्तित्व की उपधारणा (presumption) मात्र की जा सके। जिस साक्ष्य की सहायता से विवादक तथ्य और साबित किये गये तथ्यों का सम्बन्ध प्राकृतिक नियमों के अनुसार अवश्यम्भावी प्रतीत हो वह साक्ष्य निश्चायक साक्ष्य की कोटि में आता है। जिस साक्ष्य से विवादक तथ्य की अस्तित्व सम्भाव्य होती हो। वह दूसरी श्रेणी में आता है। सम्भाव्यता चाहे कितनी हो कम या अधिक मात्रा मात्रा में हो।

Scanned with CamScanner

प्रत्यक्ष साक्ष्य और परिस्थितिजन्य साक्ष्य दोनों साक्ष्य होने के नाते एक समान ही है — दोनों का उद्देश्य एक ही होता है।

दोनों प्रकार के साक्ष्यों का भेद एक दृष्टान्त से अच्छी तरह समझा जा सकता है। जैसे "क" पर "ख" ने लाठी से प्रहार किया और उसे चोट पहुंचायी। "घ" "ङ" "च" ने न्यायालय में स्पष्ट तौर पर कहा कि उन्होंने "ख" को लाठी से प्रहार करते देखा। यह हुआ प्रत्यक्ष साक्ष्य।

अगर साक्ष्य में "घ" कोई यह कहे उसने भाग कर घर में घुसते देखा रक्त से सनी लाठी देखा। कुछ दिन पूर्व क ने ख को मारने की धमकी दी थी — इत्यादि यह साक्ष्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य होगा और इससे क के द्वारा "ख" के ऊपर प्रहार किया जाना सम्भाव्य हो जायेगा। यह सम्भाव्यता की मात्रा पर निर्भर होगा कि उस साक्ष्य को निश्चायक माना जाए या केवल एक आरोप को अपराधिता की उपधारणा की जा सके। सम्भाव्यता की मात्रा पर निर्भर है।